

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- छतरसिंह पुत्र भंवरसिंह --:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :-213/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.23	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प निम्बोल में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- निम्बोल में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सं. 2077-80 के खाता सं. 880, 461, 594 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम छतरसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम छतरसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान निम्बोल में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निम्बोल व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- निम्बोल में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 880, 461, 594 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का नाम छतरसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम छतरसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निम्बोल व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- निम्बोल में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 880, 461, 594 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि छतरसिंह पुत्र भंवरसिंह को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

(S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी एवं पटवारी
सहायक कलक्टर जैतारण

